

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 17-09-2020

फा.क्र. 3730/21-ब(दो)/2019, विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री नवीन कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को एवं श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप से नाम निर्दिष्ट करता है।

No.3730/21-B-(II)/2019, In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No.59 of 1994), the state government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High court, hereby nominate Sh. Navin Kumar Saxena, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur and Shri Narendra Pratap Singh, District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Ujjain as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date of assuming charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17-09-2020

फा.क्र. 3730/21-ब(दो)/2019,

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर,
2. श्री नवीन कुमार सक्सेना, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,
3. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन
4. सदस्य अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, सी-2 साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, म.प्र.,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भोपाल, की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित। कृपया राजपत्र की 25 प्रतियां इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।
6. आई.टी. शाखा, म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

9(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

Per Balam
6-2-1
110
II-15-50/87

